

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5216/2025

अदालतीराम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 21 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: निषाद रामजानकी, पारस नाथ बिंद, सभाजीत

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला जौनपुर (प्रत्यर्थी संख्या 3) के समक्ष दिनांक 30.11.1989 से लंबित अपील संख्या 63/95 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 198954143600001237) (जगदेव बनाम बंशराज एवं अन्य), जो जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के तहत है (याचिका का संलग्नक-1), को इस न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करने की प्रार्थना करते हुए दायर की गई है।
3. यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 (जगदेव) ने उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के तहत एक अपील दायर की है, जो इसके दायर होने की तिथि से विचाराधीन लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि अपील में विपक्षी (यहाँ याचिकाकर्ता) पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह निर्देश देता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.आर.